सं0–721/IV(2)-श0वि0–11–36(सा0)/06

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड शासन।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक– 10 जून, 2011

विषय : नगर पंचायत, मुनि की रेती के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2006–07 में स्वीकृत कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 644/V–श0वि–06–36(सा0)/06 दिनांक 13–7–2006 तथा शासनादेश संख्या 530/IV(2)–श0वि0–08–36(सा0)/06 दिनांक 5–6–2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासनादेश संख्या 644 दिनांक 13–7–2006 के माध्यम से **नगर पंचायत, मुनि की रेती** के अन्तर्गत ₹ 458.64 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शहरी विकास निदेशालय के पत्र दिनांक अगस्त, 2006 द्वारा ₹ 150.43 लाख तथा पत्र संख्या मेमो/अव0वि0/ श0वि0नि0/टी0सी0 8/2007 दिनांक 10–4–2007 द्वारा ₹ 135.40 लाख, इस प्रकार कुल ₹ 285.83 लाख अवमुक्त की गयी थी।

2– शासनादेश संख्या 530 दिनांक 5–6–2008 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य (प्रथम पार्ट) हेतु ₹ 15.21 लाख को शासनादेश संख्या 1721/V–श0वि0–05–556(सा0)/04 दिनांक 14–9–2005 में से कम करते हुए शासनादेश सं0 644 दिनांक 13–7–2006 की प्रशासकीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए ₹ 473.85 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3– उक्त के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मुनिकी रेती के पत्र संख्या 420/अवस्थापना/2010–11 दिनांक 27–1–2011 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के अनुसार शासनादेश दिनांक 13–7–2006 के क्रमांक–8 का कार्य सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 96.66 लाख के सापेक्ष न्यूनतम निविदा ₹ 96.41 लाख तथा क्रमांक–9 का कार्य वन भूमि पर पार्किंग निर्माण की स्वीकृत धनराशि ₹ 270.80 लाख के सापेक्ष न्यूनतम निविदा ₹ 270.25 लाख प्राप्त हुई है, जिससे क्रमशः ₹ 0.25 लाख तथा ₹ 0.55 लाख की बचत हुई है।

4– सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि ₹ 35.57 लाख में न्यूनतम निविदा के सापेक्ष हुई बचत ₹ 0.25 लाख का समायोजन करते हुए अवशेष धनराशि **₹ 35.32 लाख** तथा वन भूमि पर पार्किंग निर्माण हेतु अवशेष धनराशि ₹ 135.40 लाख में न्यूनतम निविदा के सापेक्ष हुई बचत ₹ 0.55 लाख का समायोजन करते हुए अवशेष धनराशि ₹ **134.85 लाख** इस प्रकार **कुल ₹ 170.17 लाख** अवमुक्त किया जाना है।

5– अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्तर–4 में उल्लिखित सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि ₹ 35.32 लाख तथा वन भूमि पर पार्किंग निर्माण कार्य हेतु ₹ 34.85 लाख, इस प्रकार कुल ₹ **70.17 लाख (₹ सत्तर लाख सतरह हजार मात्र)** धनराशि को व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि **₹ 70.17 लाख (₹ सत्तर लाख सतरह हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित नगर पंचायत को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
2. शासनादेश संख्या 644/V–श0वि–06–36(सा0)/06 दिनांक 13–7–2006 तथा शासनादेश संख्या 530/IV(2)–श0वि0–08–36(सा0)/06 दिनांक 5–6–2008 में उल्लिखित अन्य शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

5. कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेंकिग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जायेगा और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।
6. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
7. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
8. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
9. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
10. उक्त धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
11. उपरोक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके साथ अद्यतन तिथि तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

6– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05– नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 29/XXVII(2)/2011, दिनांक– 01 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

सं0– 721 (1)/IV(2)-श0वि0–11,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, टिहरी।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मुनिकी रेती।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।